राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0, जयपुर

क्रमांकः वीएस/3/19/2024/66 **दिनांकः** 5/4/24

1 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
जिला अस्पताल/उपजिला अस्पताल/सैटेलाईट अस्पताल

2 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
राजस्थान।

विषयः— अंतरंग एवं बाह्य रोगियों का वर्ष 2023 एवं पूर्व वर्षो के बकाया वार्षिक प्रतिवेदन सी.से.ई. (एम—72) भिजवाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः—निदेशालय के पत्र क्रमांकः 326 दि0 27.12.2023, 34 दि0 14.2.2024 एवं 50 दिनांक 29.2.2024

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भित पत्रों/ई—मेल एवं विभागीय वेबसाईट द्वारा आपके अधीन आने वाले चिकित्सा संस्थानों के वर्ष 2023 के सी0 टू0 ई0 वार्षिक प्रतिवेदन भिजवाने हेतु लिखा गया था। निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांकः 326 दिनांक 27.12.2023 (प्रति संलग्न) मे दिए गए निर्देशों के अनुसार सी0टू0ई0 प्रतिवेदन भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रतिवेदनों की जॉच करने पर अधिकतर चिकित्सा संस्थानों द्वारा इण्डोर के कॉलम में अटेण्डेन्स एवं न्यू अटेण्डेन्स के कॉलमों की संख्या समान दर्शायी जाती है इससे आशय यह है कि रोगी को जिस दिन इण्डोर में पंजीकृत किया, उसी दिन डिस्चार्ज भी कर दिया गया तथा रोगी दूसरे दिन भर्ती नहीं रहा। इस प्रकार कॉलमों का योग भी नही दर्शाया जाता है। अतः चिकित्सा संस्थानों के वर्ष 2023 तथा पूर्व वर्षो की बकाया अतिशीघ्र जरिए डाक सूचनाऐं सांख्यिकी अधिकारी (जीवनांक), कमरा नं0 सी—211 में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(डॉ0 रवि प्रकाश माथुर)
निदेशक (जन0 स्वा0)

क्रमांकः वीएस/3/19/2024/66 दिनांकः 5/04/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1—समस्त संयुक्त निदेशक, (जोन) चि0 एवं स्वा0 सेवायें, राजस्थान।

2—प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने एवं उक्त को ई—मेल कराने हेतु।

निदेशक (जन0 स्वा0)

vsodmhs1914@gmail.com/ vsodmhs.mhfw@Rajasthan.gov.in

RajKaj Ref 6461282

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI PARKASH MATHUR
Designation : Director
Date :05-04-2024 10:10:06

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0, जयपुर

क्रमांकः वीएस / 3 / 19 / 2023 / दिनांकः

1–समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
जिला अस्पताल / उपजिला अस्पताल / सैटेलाईट अस्पताल

2–समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
राजस्थान।

विषयः– वर्ष 2023 के अंतरंग एवं बाह्य रोगियों का वार्षिक प्रतिवेदन सी.से.ई. (एम–72) भिजवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि प्रत्येक वर्ष की भांति वर्ष 2023 के अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों का वार्षिक प्रतिवेदन **"सी. से. ई." (एम–72)** आपके अधीन आने वाले चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त कर निदेशालय को भिजवाया जाता है। यह प्रतिवेदन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं इससे उच्च स्तर की प्रत्येक चिकित्सा संस्थान द्वारा कलेण्डर वर्ष में एक बार तैयार किया जाता है। इसमे चिकित्सा संस्थान के आउटडोर, इन्डोर एवं इण्डोर अटेण्डेन्स मरिजों की मासिक संख्या भी अंकित होती है। सी0टू0ई0 प्रतिवेदन से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग विभाग मे विधान सभा के प्रश्नों का उत्तर देने, राज्य में नई चिकित्सा संस्थान खोलने तथा कार्यरत संस्थानों को क्रमोन्नत करने में होता है।

उक्त प्रतिवेदन निदेशालय को भिजवाने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं की जांच कर लेंवे :–

1– सी एवं डी स्टेटमेन्ट के सभी कॉलम का योग सही हो।

2– स्टेटमेन्ट–सी में कॉलम संख्या 6 का योग कॉलम संख्या 11 से अधिक होना चाहिए क्योंकि कॉलम संख्या 11 में भर्ती मरिजों की संख्या का इन्द्राज किया जाता है जबकि वह मरिज कितने दिन भर्ती रहा है उसकी संख्या को जोडकर कॉलम संख्या 6 में इन्द्राज किया जाता हैं।

3– डी स्टेटमेन्ट में दर्शाई गई 159 बीमारियों के वर्गीकरण के अनुसार ही रोगियों की संख्या अंकित की जावें। पुरूष एवं महिला की बीमारियों की सही ढंग से जांच कर ही संख्या दी जावे।

4– डी–स्टेटमेन्ट में दर्शाई गई अंतरंग, बहिरंग एवं मृत्युओं की संख्या का योग सी–स्टेटमेन्ट में दर्शाई गई कॉलम संख्या 11, 25 एवं 15 के योग के समान ही होनी चाहिए।

5– वार्षिक प्रतिवेदन के सी, सी–1, डी, डी–1 तथा ई पार्ट पूर्ण रूप से भरे जावें।

6– स्मॉल पॉक्स चूंकि पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है अतः यह ध्यान रखे कि स्मॉल पॉक्स में रोगियों की संख्या अंकित नहीं की जावें ।

7–सी0टू0ई0 प्रतिवेदन में आउटडोर, इण्डोर, इण्डोर अटेण्डेन्स इत्यादि की सूचना का पीसीटीएस एवं ई–औषधि साफ्टवेयर मे अपलोड की गई सूचनाओं से मिलान कर ही सी0टू0ई0 प्रतिवेदन मे अंकित की जावें। प्रायः देखा गया है कि सी0टू0ई0 प्रतिवेदन (एम–72) की सूचना पीसीटीएस एवं ई–औषधि साफ्टवेयर मे अपलोड की गई सूचनाओं से मेल नहीं खाती हैं।

साथ ही यह भी देखा गया है कि सी0टू0ई0 प्रतिवेदन बिना सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं वर्ष का इन्द्राज किए बिना ही भिजवा दिए जाते हैं, यह ध्यान रखा जावें की प्रतिवेदन के मुख पृष्ठ पर वर्ष का इन्द्राज करते हुये प्रतिवेदन साफ एवं स्पष्ट भरे तथा प्रत्येक पृष्ठ पर **सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर** मय सील भी होना आवश्यक हैं। यदि कोई चिकित्सा संस्थान वर्ष 2023 में प्रारम्भ हुआ है तो उस माह से प्रतिवेदन में सूचना प्रेषित की जावें।

विधान सभा के बजट सत्र मे सी0टू0ई0 प्रतिवेदन से सम्बन्धित सूचनाओं की आवश्यकता होगीं, इसलिए उच्च स्तर से निर्देशित किया गया है कि **जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो की वर्ष 2023 की सी0टू0ई0 रिपोर्ट अति–शीघ्र** मंगवाई जावें जिससे कि बजट सत्र में तत्काल आउटडोर, इण्डोर, बीओआर इत्यादि की सूचना उपलब्ध करवाई जा सकें। अतः आपके अधीन आने वाले समस्त चिकित्सा संस्थानों से वार्षिक प्रतिवेदन पूर्व की भांति एक्सल शीट में इन्द्राज करते हुए ई–मेल करावें तथा एकत्रित सी0टू0ई0 प्रतिवेदन निदेशालय के सांख्यिकी अधिकारी (जीवनांक) के कमरा नं0 सी–211 मे दिनांकः 10.1.2024 तक आवश्यक रूप से से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता देंवे।

(डॉ0 रवि प्रकाश माथुर)
निदेशक (जन0 स्वा0)

क्रमांकः वीएस / 3 / 19 / 2023 / 326 दिनांकः 27/12/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1–समस्त संयुक्त निदेशक, (जोन) चि0 एवं स्वा0 सेवायें, राजस्थान।

2–प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने एवं ई–मेल कराने हेतु।

निदेशक (जन0 स्वा0)

vsodmhs1914@gmail.com/ vsodmhs.mhfw@Rajasthan.gov.in

RajKaj Ref
5226039

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR.<rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI PARKASH MATHUR
Designation : Director